न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 455/2018 वाद

1. रामचन्द्र पिता गंगाराम जी जाति नाई उम्र 74 वर्ष आयु वयस्क निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. बंशीलाल पिता गंगाराम जाति नाई उम्र 64 वर्ष आयु वयस्क निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. चम्पालाल पिता गंगाराम जाति नाई उम्र 52 वर्ष पेशा नौकरी निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

— वादीगण

//बनाम//

1. नारायण पिता मांगीलाल जाति नाई उम्र 62 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0 ।
2. कमली पुत्री मांगीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति नाई उम्र वयस्क निवासी बडोली माधोसिंह तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0 ।
3. शांति पुत्री मांगीलाल पत्नी नाथुलाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी घटीयावली हा0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 रा.का.अधि
श्री घनश्याम शर्मा, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित

निर्णय **दिनांक 26.08.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कि वादीगण के पिता की संयुक्त खातेदारी की आराजी नं0 197 रकबा 1 बीघा [illegible] गांव फाचर सोलंकी में स्थित हैं तथा आ0 नं0 167 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा [illegible] में स्थित थी। जिसके वर्तमान आ0नं0 328 रकबा 0.0400 हैक्टेयर व आ0नं0 38[illegible] रकबा 0.4800 हैक्टेयर हैं। पक्षकारान का सजरा निम्नानुसार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:26 IST
Reason: SelfAttested

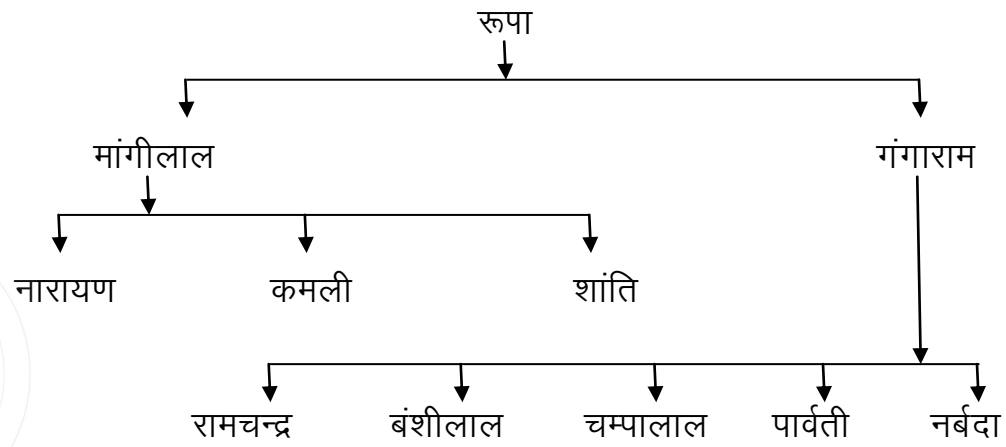

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल एवं गंगाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का आपसी रूप से विभाजन कर लिया था एवं दोनों भाईयों की और से आपसी विभाजन कर एक बंटवारा विलेख तैयार करवाया जिस पर दोनों पक्षकारान ने अपना हिस्सा प्रकट किया व बंटवारा विलेख दिनांक 01.08.1995 को गवाहान के समक्ष निष्पादित करवाया और अपने जीवनकाल में उसी बंटवाडे अनुसार अपने–अपने हिस्से मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आये एवं उनके मरने के पश्चात उनके वारिसान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के पिता मांगीलाल के हिस्से में मुताबिक आपसी बंटवारा आ0नं0 167 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हिस्से में आई, जिस पर मांगीलाल ने जीवन पर्यन्त काबिज रहकर काश्त की, तत्पश्चात पुत्र नारायण, पुत्री कमली व शांति ने उक्त आराजीयात को विक्रय कर दिया। इसी तरह आ0नं0 197 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा गंगाराम के हिस्से में आई थी, जिस पर गंगाराम जी ने जीवन पर्यन्त काश्त की, उसके पश्चात् वादीगण गंगाराम जी की मृत्यु के बाद 35 वर्षो से अधिक से निर्विघ्न रूप से निरन्तर नियमित रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे व आज भी काबिज है, इसीलिए आदीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर चॅुकि 12 वर्ष से अधिक समय से निर्बाध रूप से काश्त कर रहे है, इसलिये उक्त आराजी की उन्हे खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादीगण के मन में बंदयांति पैदा होने जगी, उनके हिस्से में आई जमीन को उनके द्वारा विक्रय कर दिया है, जब उन्हे उक्त आराजी नं0 197 को वादीगण ने अपने नाम पर खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु कहा तो उन्होने टालमटोल कर दिया व उस जमीन पर भी नाजायज कब्जा करने की कोशिश करने का प्रयास किया, इसीलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व आराजीयात नं0 197 पर खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा। प्रति[illegible]न वादीगण की आधित्यशुदा आराजीसात जिस पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त तथा खातेदारी घोषणा करवाने का वैधिक अधिकार प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादीगण झ[illegible] कर उस पर अनाधिकृत आधिपत्य करने एवं खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि आ0नं0 197 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा जिसके वर्तमान आ0नं0 328 रकबा 0.0400 हेक्टेयर व आ0 नं0 384 रकबा 0.4800 हेक्टेयर पर न स्वयं अनाधिकृत आधिपत्य करें न अन्य से करावें, न स्वयं उक्त आराजी को रहन, बय, अंतरीत करे न अन्य से करावें एवं मौके कब्जे एवं रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन न स्वयं करें न अन्य से करावें। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबधित नहीं किया गया तो वादीगण को ऐसी क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति पुनः संभव नहीं होगी । सुविधा के सन्तुलन की दृष्टी से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना वादीगण के ही पक्ष में हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु अवसर चाहा। बाद में प्रतिवादीगण तारीख पेशी पर मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 ग्राम फाचर सोलंकी की खाता संख्या 114 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत 2052–55 ग्राम टीलाखेडा की खाता संख्या 26 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, मांगीलाल नाई द्वारा लिखित इकरारनाम पत्र की छायाप्रति प्रदर्श–4ए प्रस्तुत किया है। मौखिक साक्ष्य में चम्पालाल पिता गंगराम नाई पीडब्ल्यु–1, रामचन्द्र पिता गंगराम नाई पीडब्ल्यु–2, बंशीलाल पिता गंगाराम नाई पीडब्ल्यु–3, उमा पत्नी चम्पालाल नाई पीडब्ल्यु–4, पार्वती बाई पिता गंगाराम पत्नी रामलाल नाई पीडब्ल्यु–5, नर्बदा पिता गंगाराम पत्नी प्रभुलाल नाई पीडब्ल्यु–6, प्रभुलाल पिता मथुरालाल नाई पीडब्ल्यु'–7 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये हैं। प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी अनुसार 1/2 हिस्सा गंगाराम के वारिसान के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श–2 के अनुसार उक्त भूमि गंगाराम व मांगीलाल पिता रूपा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल से दोनों जमाबन्दीयों की भूमि एक ही होना प्रकट होता है। प्रदर्श–4 एक अपंजीकृत स्टाम्प है जिस पर मांगीलाल द्वारा आराजी नं. 197 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपने भाई गंगाराम के पक्ष में रखी जाने की स्वीकारोक्ति लिखी है। उक्त स्टाम्प अपंजीकृत है तथा उस पर जिन दोनों पक्षकार के नाम हैं उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। दो गवाहों के हस्ताक्षर हैं परन्तु न्यायालय में दोनों गवाह उक्त दस्तावेज की पुष्टि हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं। वादीगण ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए 7 शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं परन्तु सभी गवाह परिवार के सदस्य होने से यह साक्ष्य निष्पक्ष नहीं मानी जा सकती। वादीगण अपने पक्ष को साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। जो स्टाम्प मांगीलाल द्वारा लिखित बताया है वह अपंजीकृत दस्तावेज होकर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उसे साबित करने के लिए दस्तावेज के गवाहों को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण अपना दावा साबित करने में असफल रहे हैं।

अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:26 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 455/2018 वाद

1. रामचन्द्र पिता गंगाराम जी जाति नाई उम्र 74 वर्ष आयु वयस्क निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. बंशीलाल पिता गंगाराम जाति नाई उम्र 64 वर्ष आयु वयस्क निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. चम्पालाल पिता गंगाराम जाति नाई उम्र 52 वर्ष पेशा नौकरी निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।

— वादीगण

//बनाम//

1. नारायण पिता मांगीलाल जाति नाई उम्र 62 वर्ष निवासी फाचर सोलंकी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0 ।
2. कमली पुत्री मांगीलाल पत्नी रामचन्द्र जाति नाई उम्र वयस्क निवासी बडोली माधोसिंह तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढराज0 ।
3. शांति पुत्री मांगीलाल पत्नी नाथुलाल जाति नाई उम्र वयस्क निवासी घटीयावली हा0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 रा.का.अधि

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा की ओर से की उपस्थिति में आज दिनांक को पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादीगण साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 26.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:26:26 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा